

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीडसीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 16/2020

1. नरेश कुमार पुत्र नेहरुलाल जाति जाट निवासी चक 1केएनएन फेफाना त० नोहर जिला हनुमानगढ़।

:- वादी

ब नाम

1. नेहरुलाल पुत्र रुभाराम जाति जाट निवासी चक 1केएनएन फेफाना त० नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजबाला पुत्री नेहरुलाल जाति जाट निवासी चक 1केएनएन फेफाना त० नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. कृष्णा पुत्री नेहरुलाल जाति जाट निवासी चक 1केएनएन फेफाना त० नोहर जिला हनुमानगढ़।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : वादी

वकील श्री सुरजीत विजारणियां : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 22-02-2021



संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि घेऊ के खाता सं० 162/152 के खसरा सं० 681 की 3.655 है०, खसरा सं० 731 की 10.383 है० कुल 14.038 है० वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 नेहरुलाल के नाम से 2.713 है० खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि को प्रतिवादी सं० 1 नेहरुलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी वंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू नरेश कुमार पुत्र नेहरुलाल जाति जाट निवासी चक 1केएनएन फेफाना के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य एवं सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही घेऊ के खाता सं० 162/152 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही घेऊ संवत

2038-41 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही भोजा 5ए बाराणी फेफाना प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही चक 1 केकेएन प्रदर्श 4, जमाबंदी चक 5 केकेएन प्रदर्श 5, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत फेफाना प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दरस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हरतगत प्रकरण में वादीगण ने घेऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 6 में वारिसप्रमाण पत्र में नेहरूलाल के एक पुत्र नरेश कुमार व दो पुत्री बालादेवी व कृष्णा के अलावा अन्य कोई वारिस होना नहीं बताया गया है। वाद भूमि रोही घेऊ के खाता सं० 162/152 के खसरा सं० 681 की 3.655है०, खसरा सं० 731 की 10.383है० कुल 14.038है० बाराणी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 नेहरूलाल के नाम से 2.713है० खातेदारी दर्ज है। मैं से प्रतिवादी सं० 1 नेहरूलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किये जावें। चूंकि प्रतिवादी सं 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पत्ति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही घेऊ के खाता सं० 162/152 के खसरा सं० 681 की 3.655है०, खसरा सं० 731 की 10.383है० कुल 14.038है० बाराणी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 नेहरूलाल के नाम से 2.713है० खातेदारी दर्ज है। मैं से प्रतिवादी सं० 1 नेहरूलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी नरेश कुमार को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22-2-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(सत्यनारायण)

सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
 पीछसीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 16/2020

1. नरेश कुमार पुत्र नेहरूलाल जाति जाट निवासी चक 1केएनएन फेफाना त० नोहर जिला हनुमानगढ़।

— वादी

ब नाम

2. नेहरूलाल पुत्र रुधाराम जाति जाट निवासी चक 1केएनएन फेफाना त० नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. राजबाला पुत्री नेहरूलाल जाति जाट निवासी चक 1केएनएन फेफाना त० नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. कृष्णा पुत्री नेहरूलाल जाति जाट निवासी चक 1केएनएन फेफाना त० नोहर जिला हनुमानगढ़।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरजीत बिजारणिया की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही घेरु के खाता सं० 162/152 के खसरा सं० 681 की 3.655है०, खसरा सं० 731 की 10.383है० कुल 14.038है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 नेहरूलाल के नाम से 2.713है० खातेदारी दर्ज है। मैं से प्रतिवादी सं० 1 नेहरूलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी नरेश कुमार को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22-2-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



सहायक सत्यनारायण
 (फास्ट ट्रैक) भादरा R.A.S.
 सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
 भादरा, जिला हनुमानगढ़